GBCPWDOSAAI

ग्रुप 'बी' सी.पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस स्टॉफ एसोसिएशन (ऑल इंडिया)
(भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

GROUP 'B' CPWD OFFICE STAFF ASSOCIATION (ALL INDIA)
(RECOGNISED BY GOVT. OF INDIA)

Central Office : 'A' Wing, Ground Floor, I.P. Bhawan, (Y-Shape Building), Ring Road Facing, New Delhi-110002
Website: www.gbcpwdosaai.in E-mail: groupbcpwd@gmail.com

No. GBCPWDOSAAI/ 110 Dated 30-10-2018

Ajay Kumar N.P.
President
Mob. : 09891904580

Ravi Kumar Bhatnagar
Gen. Secretary
Mob. : 09313171008
09999083637

Dinesh Kumar
Vice President
Mob.: 09313738645

Yashveer Singh
Vice President
Mob. : 09811724008

Pankaj Sharma (WR)
Vice President
Mob. : 09970727887

Avdhesh Kumar
Joint Secretary
Mob. : 09868572286

Devender Ahuja
Joint Secretary
Mob.: 09891175364

B. Nagaraja (SR)
Joint Secretary
Mob.: 08977505313

Deepak Jain
Treasurer
Mob.: 9818561467

Harjeet Vashisth
Ladies representative
Mob. : 09911982511

T. S. Banga
Auditor
Mob. : 09968070488

Co-opted Member :
Bhaskar Saha (ER)
Mob.: 09089633723

Rajeev Sharma
Mob.: 09868717143

To

Sh. Prabhakar Singh
Director General
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan, New Delhi – 110011.

Sub: Proposal for Revival of Examination (LDCE) Quota for promotion from UDC to Office Superintendent in CPWD.

****

Respected Sir,

With reference to above cited subject, kindly refer Directorate's OM No. 4/4/2018-EC-IV(SC)/1411 dated 22-10-2018 addressed to all DDG(coord.) with copy to Directorate (S&D) and this Association, which is self explanatory.

It is very shocking and surprising that after laps of more than three years after the matter initiated by this Association, the Directorate still seeking comments from the SDGs/DDG(Coord.)s, In this connection we would like to draw your kind attention towards this Association following letters wherein the detail proposal for restoration of Exam quota for promotion to the post of LDC to UDC and UDC to OS was submitted in detail and the matter was pursued with different level officers of the Department.

S.No.	Reference	Addressed to	Copy to
1	GBCPWDOSAAI/29 dated 09-06-2015	DG,CPWD	All SDG's
2	GBCPWDOSAAI/44 dated 24-08-2015	SDH(HQ)	ADG(S&P)
3	GBCPWDOSAAI/72 dated 26-04-2016	Sh. Diwakar Garg, DG,CPWD	All SDG's SGH(HQ) ADG(S&P)
4	GBCPWDOSAAI/88 dated 06-06-2016	Sh. Mukund Joshi, SDG(NR)	SDH(HQ) All SDG's DDG(HQ) DDG(Coord.)NR
5	GBCPWDOSAAI/88 dated 06-06-2016	DDG(HQ)	---

Contd.

Ajay Kumar N.P.
President
Mob. : 09891904580

Ravi Kumar Bhatnagar
Gen. Secretary
Mob. : 09313171008
09999083637

Dinesh Kumar
Vice President
Mob.: 09313738645

Yashveer Singh
Vice President
Mob. : 09811724008

Pankaj Sharma (WR)
Vice President
Mob. : 09970727887

Avdhesh Kumar
Joint Secretary
Mob. : 09868572286

Devender Ahuja
Joint Secretary
Mob.: 09891175364

B. Nagaraja (SR)
Joint Secretary
Mob.: 08977505313

Deepak Jain
Treasurer
Mob.: 9818561467

Harjeet Vashisth
Ladies representative
Mob. : 09911982511

T. S. Banga
Auditor
Mob. : 09968070488

Co-opted Member :
Bhaskar Saha (ER)
Mob.: 09089633723

Rajeev Sharma
Mob.: 09868717143

The matter of restoration of exam quota for LDC to UDC and UDC to OS was also discussed in detail with various level officers of the Department as detail below:

Name of office	Date of meeting	Minutes issued vide No.
DDG(HQ)	29-04-2016	4/2/2016-EC.IV(SC) dated 25-5-2016
SDG(NR)	01-06-2016	Association letter No. GBCPWDOSAAI/93 dated 22-6-2016
ADG(S&P)	20-10-2016	4/2/2016-EC.IV(SC) dated 23-11-2016
DDG(HQ)	25-04-2017	4/2/2016-EC.IV(SC) dated 01-5-2017

It is regret to point out that no fruitful action has so far been initiated by the Directorate for restoration of Exam quota for the post of Office Superintendent, No communication has been received to this Association from any of the office, however undersigned file an application under RTI Act-2005 to know the action taken by the Directorate and other offices of the Department on the issue vide application dated 6-4-2017 but it is regretted to say in spite of filing 1st appeal no information has been provided by the Directorate and other offices except the office of SDG(NR). We have come to know that the SDG(NR) agreed with the proposal of this Association for restoration of Exam Quota and they have already sent their consent to the Directorate vide their letter No. 16(4)/SDG(NR)/2015/OS/1191 dated 22-06-2015 (copy enclosed) but the Directorate still sending reminders to DDG(Coord.)NR also.

Even this Association repeatedly requested all SDGs for sending their comments to Directorate in the subject matter but all efforts are in vain. Since the issuance of New Recruitment Rules enforced in 2013, the 50% Exam quota was abolished and all promotions are being made through Seniority Quota but all Co-ordinations failed to promote eligible UDCs to the posts of Office Superintendents in time due to reasons given below:

Contd.

Central Office : 'A' Wing, Ground Floor, I.P. Bhawan, (Y-Shape Building), Ring Road Facing, New Delhi-110002
Website: www.gbcpwdosaai.in E-mail: groupbcpwd@gmail.com

No. GBCPWDOSAAI/ Dated

Ajay Kumar N.P.
President
Mob. : 09891904580

Ravi Kumar Bhatnagar
Gen. Secretary
Mob. : 09313171008
09999083637

Dinesh Kumar
Vice President
Mob.: 09313738645

Yashveer Singh
Vice President
Mob. : 09811724008

Pankaj Sharma (WR)
Vice President
Mob. : 09970727887

Avdhesh Kumar
Joint Secretary
Mob. : 09868572286

Devender Ahuja
Joint Secretary
Mob.: 09891175364

B. Nagaraja (SR)
Joint Secretary
Mob.: 08977505313

Deepak Jain
Treasurer
Mob.: 9818561467

Harjeet Vashisth
Ladies representative
Mob. : 09911982511

T. S. Banga
Auditor
Mob. : 09968070488

Co-opted Member :
Bhaskar Saha (ER)
Mob.: 09089633723

Rajeev Sharma
Mob.: 09868717143

1. No proper panel for promotions are being prepared and circulated as per the guidelines of DoPT in the department. There are many examples for delayed promotions and requests for grant of seniority from vacancy period are pending with department.

2. Delay in Mandatory trainings in the past.

3. There is decades long stagnation in the ministerial cadre and the officials are being offered promotion to the posts of Office Superintendents at the stage of retirement with out-station posting, but the person had already availed the financial benefit under the MACP, So why they go to the out-station posting to accept the promotion with higher responsibility, therefore they deny the promotion or trying to avoid the promotion.

4. No transfer Policy is being implemented resulting the person settled at station more than 30 years even in the same offices, therefore they are not become habitual of out-station posting and use to avoid the promotion.

5. Even after the availability of vacancies at the same station, the persons were posted and forced to join at out-station, but some influential persons retained at the station by violation of policy by Co-ordination therefore general persons avoid to taking promotion.

There are large number of posts of Office Superintendents are lying vacant in all regions specially the position of Northern Region is worst as compared to other regions even after repeatedly intimating the situation by us from time to time.

The vacancy position during the month of June 2018 reported by this Association vide letter No.88 dated 19-06-2018 are as under:

Name of Post	NR	ER	WR	SR
OS	128	32	12	17
UDC	336	44	37	52

Contd.

Ajay Kumar N.P.
President
Mob. : 09891904580

Ravi Kumar Bhatnagar
Gen. Secretary
Mob. : 09313171008
09999083637

Dinesh Kumar
Vice President
Mob.: 09313738645

Yashveer Singh
Vice President
Mob. : 09811724008

Pankaj Sharma (WR)
Vice President
Mob. : 09970727887

Avdhesh Kumar
Joint Secretary
Mob. : 09868572286

Devender Ahuja
Joint Secretary
Mob.: 09891175364

B. Nagaraja (SR)
Joint Secretary
Mob.: 08977505313

Deepak Jain
Treasurer
Mob.: 9818561467

Harjeet Vashisth
Ladies representative
Mob. : 09911982511

T. S. Banga
Auditor
Mob. : 09968070488

Co-opted Member :
Bhaskar Saha (ER)
Mob.: 09089633723

Rajeev Sharma
Mob.: 09868717143

The DDG(Coord.)NR issued a panel for promotion to the post of OS for the year 2017-18 vide their letter No. 21(4)DDG(Coord.)NR/EE(C)/GA/ 2018/2235 dated 7-9-2018 with the request to send APAR, Mandatory Training Certificate and Proforma 'B' for VCC, in fact we are not hoping the promotion orders in this year because it is not possible to complete all the formalities within October and the present DDG(Coord.)NR is going to retire in October, thereafter his successor will examine the matter again, and that will take more time, and our apprehension/perception has comes true when the present DDG(Coord.)NR extended the date of sending APAR/VCC etc. till 7-11-2018 vide their OM dated 18-10-2018. This association requesting the department for completion of APAR in respect of UDC and OS since June-2015 to avoid the delay in promotions, but it has been noticed that every time when the process of promotions starts, either Directorate or Coordination's are applying the same practice of calling of APAR, Certificate etc.

Upto 2013 the erstwhile RR of OS and UDC contained the Exam Quota of 50% and 62.5%respectively which was a privilege to meritorious employees to get the early promotions as well as serving to the Department with merit. We once again repeat our earlier view that, if the Exam quota for the post of Office Superintendent has not been restored at the earliest, the Department will face the acute shortage of OS and AAOs after 2024 and there will be no eligible candidate available for the supervision of Administrative works/ exigencies of the Department.

It is also surprising that the issue was discussed in the above said meetings and as per the minutes issued by the Directorate, it has been shown that the action on the issue will be taken by the Director (S&D) and now after laps of more than three years Dy. Director(Admn.-II) is initiating action on the issue.

In this connection, we would like to refer DoPT OM No. AB-14017/14/2018-Estt.(RR)(3139661) Dated08-05-2018 wherein necessary instructions have already been given to all the Ministries and Departments to undertake the exercise for review of existing recruitment rules immediately which have not been amended in the last five years and intimate this Department about the outcome of the exercise so undertaken.

Contd.

Ajay Kumar N.P.
President
Mob. : 09891904580

Ravi Kumar Bhatnagar
Gen. Secretary
Mob. : 09313171008
09999083637

Dinesh Kumar
Vice President
Mob.: 09313738645

Yashveer Singh
Vice President
Mob. : 09811724008

Pankaj Sharma (WR)
Vice President
Mob. : 09970727887

Avdhesh Kumar
Joint Secretary
Mob. : 09868572286

Devender Ahuja
Joint Secretary
Mob.: 09891175364

B. Nagaraja (SR)
Joint Secretary
Mob.: 08977505313

Deepak Jain
Treasurer
Mob.: 9818561467

Harjeet Vashisth
Ladies representative
Mob. : 09911982511

T. S. Banga
Auditor
Mob. : 09968070488

Co-opted Member :
Bhaskar Saha (ER)
Mob.: 09089633723

Rajeev Sharma
Mob.: 09868717143

In view of the above circumstances, we once again request your good self to look into the matter on the merit, keeping in view of welfare of ministerial cadre as well as future of the Department and take immediate necessary action for restoration of Exam Quota for promotion to the post of LDC to UDC and UDC to OS.

Thanking you with regards.

Encl: As above,

Yours sincerely,

30/10/18

Ravi Kumar Bhatnagar
General Secretary,

Copy to:

1-4, **The Special Director General (NR), (WR), (ER), (SR), CPWD, New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai for information and taking necessary action in the matter, it is requested to send their comments to the Directorate for restoration of Exam Quota to the post of LDC to UDC and UDC to OS at the earliest. (through mail)**

General Secretary, 30/10/18

संख्याः आर0के0बी0 / आर0टी0आई0 / 2017 / 17 दिनांक 6.4.2017

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
महानिदेशालय के0लो0नि0वि0,
निर्माण भवन, नई दिल्ली–11

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्र्तगत सूचना प्राप्त करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में गुप बी0 सी0पी0डब्ल्यू0डी0 आफिस स्टाफ एशोसिएशन(आल इंडिया) के पत्र संख्या GBCPWDOSAAI/29 दिनांक 9–6–2017 द्वारा के0लो0नि0वि0 में उच्च श्रेणी लिपिक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति में 50 प्रतिशत परीक्षा कोटे को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था जिसकी प्रति सभी रीजन के विशेष महानिदेशकों को प्रेषित की गई थी, के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 एफ के प्रावधानों के अन्र्तगत कृपया प्रत्येक रीजन के संबंध में निम्न सूचना दस्तावेज उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

1. महानिदेशालय तथा रीजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय में इस संबंध में की गई नोटिंग की प्रति देने की कृपा करें ।
2. रीजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय द्वारा इस संबंध में महानिदेशालय से किए गए पत्राचार की प्रति दें ।
3. रीजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय द्वारा इस संबंध में महानिदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव की प्रति देने की कृपा करें ।
4. इस संबंध में महानिदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतियां देने की कृपा करें ।
5. उक्त प्रस्ताव के संबंध में लिए गए निर्णय तथा वर्तमान स्थिति के संबंध में दस्तावेज / सूचना देने की कृपा करें ।

यदि उक्त बिन्दुओं में से कोई सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध न अथवा अन्य जन सूचना अधिकारी से संबंधित हो तो कृपया उसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के प्रावधानों के अन्र्तगत संबंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्र्तगत निर्धारित फीस के लिए आवेदन के साथ पोस्टल आर्डर संख्याः 38एफ–128226 रू0 10/– संलग्न हैं । यदि दस्तावेजों के एवज में अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी तो आवेदक नियमानुसार उसे जमा करवाने के लिए तैयार है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

रवि कुमार भटनागर 6/4/2017

19 / 923 बाबा खड़क सिह मार्ग,
नई दिल्ली–110001
ई मेलः rkb1233@gmail.com

Recd
7/4/17

समय बद्ध / तत्काल
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन
स्पीड पोस्ट / संदेशवाहक

महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन, नई दिल्ली.

संख्या. 156/2017/आर.टी.आई.सैल/महानिदेशालय/ 532-34 दिनांक. 6.4.2017

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
ई.सी.–IV (एस.सी.), के.लो.नि.वि.,
निर्माण भवन, नई दिल्ली.

विषय: सूंचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री रवि कुमार भटनागर द्वारा सूचना प्राप्त करने के बारे में।

श्री रवि कुमार भटनागर, 19/923, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001 से प्राप्त पत्र संख्या आर0के0बी0/आर.टी.आई./2017/17 दिनांक. 06.04.17 का आवेदन (जो इस कार्यालय का डायरी संख्या 15 दिनांक 06.04.17 को प्राप्त हुआ है), इस पत्र के साथ संलग्न है ।

क्योंकि यह सूचना आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है, अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सैक्शन 5(2) के अर्न्तगत उपरोक्त आवेदन आपको जन सूचना अधिकारी के रूप मे स्थानांतरित किया जाता है । यह मामला सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना आप सीधे आवेदक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना स्वंय सुनिश्चित करें।

आवेदन का कोई हिस्सा अगर आपके क्षेत्र मे न हो तो वह सूचना जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन सूचना अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हो वहॉं स्थांनातरित करें और आवेदक को भी कृप्या उसकी सूचना देने का कष्ट करें ।

कृप्या ध्यान दें कि आवेदक को सूचना भेजने में देरी अथवा सूचना को न भेजने की जिम्मेवारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आप की होगी ।

आर.टी.आई.सैल, निर्माण भवन से पत्राचार के लिए इस मामले की उपरोक्त फाईल सं. 156/2017/आर.टी.आई.सैल/ महानिदेशालय का Reference अवश्य दें।

रूपये 10/- का आवेदन शुल्क आवेदक ने जमा कर दिया है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

कार्यपालक अभियंता (आर टी आई) एंवम
सहायक जन सूचना अधिकारी (समन्वय)
के.लो.नि.वि., रूम. न–206, ए–विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रतिः–

1. श्री रवि कुमार भटनागर, 19/923, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001 उनसे अनुरोध है कि वह वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारी से सीधे सम्पर्क करें। वांछित सूचना प्राप्त न होने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(1) के तहत निदेशक (प्रशासन)–2 एंव अपील प्राधिकारी (Appellate Authority), के.लो.नि.वि., ए–विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली से अपील की जा सकती है ।

2. अनुभाग अधिकारी (रोकड), निर्माण महानिदेशालय, के.लो.नि.वि. निर्माण भवन, नई दिल्ली को रूपये 10/- मात्र के मुल पोस्टल आर्डर संख्या 38F 128226 सहित आवश्यक करर्वाई हेतु ।

R.G. 06/4/17

सहायक जन सूचना अधिकारी (समन्वय)

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

Reply to RTI appeals

No.11/18/2017/RTI/EC-IV (SC)/1896
Government of India
Directorate General, CPWD
EC-IV(SC) Section

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 17 May, 2017

Sub :-Three appeals under Section 19(1) of the RTI Act 2005 dated 11/05/2017 filed by Shri Ravi Kumar Bhatnagar, 19/923, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi against CPIO for not furnishing information to his three RTI applications dated 05.04.2017and 06.04.2017.

Shri Ravi Kumar Bhatnagar had filed three RTI applications bearing registration No. CPWDH/R/2017/00097, 00098 and 00099 dated 05.04.2017 and 06.04.2017 for seeking information under RTI Act which were transferred to other CPIOs under DDG (Coord.) NR/SR/ER/WR, CPWD vide CPIO/SO, EC-IV (SC) letter dated 11 May 2017 with copy to the Applicant.

2. Now, Shri Ravi Kumar Bhatnagar has filed three appeals dated 11/05/2017 before First Appellate Authority stating that in response to his three RTI applications neither the reply has been received from CPIO, EC-IV(SC) nor the information regarding further transfer to other CPIO has been sent to him so far.

Order of Appellate Authority

3. After looking into the RTI applications dated 05.04.2017 and 06.04.2017 and CPIO reply dated 11/05/2017, I find that the CPIO/SO, EC-IV (SC) has transferred the RTI applications under Section 6(3) to DDG (Coord.) NR/SR/ER/WR, CPWD very late which should have been done within 5 days and he has been advised to be more careful in future in replying to RTI applications. He has been further asked to provide copies of notings/correspondence if any available with him regarding the RTI application dated 05.04.2017 w.r.t. the Association letter dated 9.6.2016 (which appears to be wrongly mentioned as 9.6.2017 by the Appellant).

4. The three appeals are accordingly disposed off.

(B.K.Pati)
Director (Admn.)II,
First Appellate Authority

To

Shri Ravi Kumar Bhatnagar,
19/923, Baba Kharak Singh Marg,
New Delhi – 110001

Copy to:

1. The CPIO, EC-IV(SC) Section, DG, CPWD, New Delhi for information.
2. The CPIO DDG (Coord./HQ), ER/WR/NR/SR to provide information as available with them directly to the applicant w.r.t. CPIO/SO, EC-IV (SC) letter dated 11/05/2017 (Copy enclosed).

S.No. 4(I)

स्पीड पोस्ट 21
SPEED POST

Most Immediate
RTI Matter

Government of India
Directorate General, CPWD
EC-IV(SC) Section
Nirman Bhawan, New Delhi

No. 11/18/2017/RTI/EC.IV (SC)/ 862 - 866 **Date: 5/11 May, 2017**

To,

Shri Ravi Kumar Bhatnagar,
19/923, Baba Kharak Singh Marg,
New Delhi – 110001

Sub: Information sought under RTI Act, 2005-reg.

Sir,

With reference to your three RTI applications (Registration No. CPWDH/R/2017/00097, 00098 and 00099) dated 06.04.2017 seeking information under RTI Act, 2005 and to say that the information sought by you pertains to other CPIOs. Therefore, your RTI applications are being transferred under Section 6(3) of RTI Act, 2005, to all the regions of this Directorate to furnish the requisite information directly to you as the information pertains to them.

2. As per section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, you may prefer an appeal before First Appellate Authority Shri B.K. Pati, Director Admn.II, CPWD, Room No. 106-A, Nirman Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of this letter, if not satisfied with the above information.

(K.M. Abul Hassan)
Section Officer & CPIO
Tel. No.23061501

Copy To:

1. DDG Coord. NR, CPWD, New Delhi 2. DDG Coord. ER, CPWD, Kolkata 3. DDG Coord. WR, CPWD, Mumbai 4. DDG Coord. SR, CPWD, Chennai	Copy of three RTI applications dated 06.04.2017 are enclosed with the request to furnish the requisite information directly to the applicant under intimation to this Directorate.
5. RTI Cell, DG(HQ), w.r.f. to their three letters No. 157/2017/529-31, 156/2017/532-34, 155/2017/538-40 dated 06.04.2017.	

(K.M. Abul Hassan)
Section Officer & CPIO

11/5/17

Speed Post
RTI Matter

भारत सरकार
कार्यालय उप–महानिदेशक(समन्वय)(उत्तरी क्षेत्र)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
ईस्ट ब्लाक, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष नम्बर–011–26713788, फैक्स–011–26716097

सं0:12(1)/उप-महा0(सम0)/उ0क्षे0/2017/ 1483 दिनांक: 22-5-17

सेवा में,

1. जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय विषेश महानिदेशालय (उ.क्षे.),
के.लो.नि.वि., सेवा भवन, आर. के. पुरम.,
नई दिल्ली।

2. जन सूचना अधिकारी व अनुभाग अधिकारी
इसी–4 (एस सी), के.लो.नि.वि.,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री Ravi Kumar Bhatnagar द्वारा सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

श्री Ravi Kumar Bhatnagar का दिनाक 06.04.2017 का आवेदन कार्यालय महानिदेशालय अनुभाग अधिकारी इसी–4(एस सी), के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं. 11/18/2017/आर.टी.आई./इसी–4(एस सी)/863 दिनांक 5/11.05.2017 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.05.2017 को प्राप्त हुआ।

श्री Ravi Kumar Bhatnagar, के दिनांक 06.04.2017 के आवेदन पत्र की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ स्थानान्तरित की जाती है, क्योंकि ये सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, अतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाए।

कृपया ध्यान दे कि आवेदक को सुचना में देरी अथवा सूचना को ना भेजने की जिम्मेवारी पूर्णतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुछेद 5(4) एवं (5) के अंतर्गत आपकी होगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. Sh. Ravi Kumar Bhatnagar, 19/923, Baba khadak Singh Marg, New Delhi. (Speed Post)

जन सूचना अधिकारी

अति तत्काल
आर.टी.आई मामला

सं. 11/18/2017/RTI/EC.IV (SC)/984
भारत सरकार
महानिदेशालय, केलोनिवि,
ई.सी.–4(एस.सी.) अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 30 .मई, 2017

सेवा में,

निदेशक (एस एंड डी.)
के.लो.नि.वि., निर्माण भबन,
नई दिल्ली ।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत श्री रवि कुमार भटनागर द्वारा सूचना प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री रवि कुमार भटनागर (अधिवक्ता), 19/923, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 2017, जो कि जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उप–महानिदेशक ।समन्वय। ।उत्तरी क्षेत्र। के पत्र दिनांक 22 मई 2017 द्वारा इस कार्यालय को भेजा गया और 24 मई 2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के सैक्शन 6(3) के तहत स्थानान्तरण किया जाता है, क्योंकि उक्त आवेदन द्वारा श्री भटनागर ने उच्च श्रेणी लिपिक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति में 50 प्रतिशत परीक्षा कोटे को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव के बारे में पूछा है जोकि आपके कार्यालय से संबंधित है ।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि

(के.एम.अबुल हसन)
अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी
टेली. 23061501

प्रतिलिपि :–

1. श्री रवि कुमार भटनागर (अधिवक्ता), 19/923, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
2. सी.पी.आई.ओ., उप–महानिदेशक ।समन्वय। ।मुख्यालय।, पूर्वी क्षेत्र, प.क्षे, उ.क्षे., द.क्षे, को सूचनार्थ ।
3. आर.टी.आई सेल, महानिदेशालय, के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ हेतू ।

(के.एम.अबुल हसन)
अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

संदेश वाहक/स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
कार्यालय विशष महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेवा भवन,राम–कृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष नम्बर–011–26198489, फैक्स–011–26175189

सं. 8/18/आर.टी.आई./वि.म.नि(.उ.क्षे.)/953 दिनांक 06/06/2017

सेवा मे,

रवि कुमार भटनागर
19/923, बाबा खड़क सिंह मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

विषय:सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध मे ।

आपका आर.टी.ई. आवेदन पत्र सं. पत्र संख्या आर.के.बी./आर.टी.ई./2017/17/ दिनांक 06-04-2017 उपमहानिदेशक (समन्वय) उ.क्षे., के.लो.नि.वी. आर.के. पुरम नई दिल्ली के पत्र संख्या 12(1)/उप-महा.(सम.)/उ.क्षे./2017/1483 दिनांक 22.05.2017 द्वारा इस कार्यालय को अग्रेषित किया गया है, इस संबंध मे इस कार्यालय स्तर की सूचना निम्न है।

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	सूचना का उत्तर
1	महानिदेशालय तथा रीजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय मे इस संबंध मे की गई नोटिंग की प्रति देने की कृपा करें।	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है।
2	रीजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय द्वारा इस संबंध मे महानिदेशालय से किए गए पत्राचार की प्रति दें।	अनुलग्नक "क"
3	रिजनल विशेष महानिदेशकों के कार्यालय द्वारा इस संबंध मे महानिदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव की प्रति देने की कृपा करें।	अनुलग्नक "ख"
4	इस संबंध मे महानिदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतियाँ देने की कृपा करे	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है।
5	उक्त प्रस्ताव के संबंध मे लिए गए निर्णय तथा वर्तमान स्थिति के संबंध मे दस्तावेज़ / सूचना देने की कृपा करें।	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है।

उदया राजन 6/6/17
(उदया राजन)

संलग्नः– केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि;

1. उप–महानिदेशक(समन्वय)उत्तरी क्षेत्र, के0लो0नि0वि0, पूर्वी ब्लाक, आर.के.पुरम,नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ मे।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी

ANNEXURE-I

डायरी संख्या 1270–ई0 दिनांक 15–06–2015

महासचिव, Group 'B' CPWD Office Staff Association का पत्र दिनांक 09–06–2015

विषय : Regarding restoration of 50% exam quota for promotion from the post of UDC to OS.

प्रस्तुत पत्र महासचिव, Group 'B' CPWD Office Staff Association से प्राप्त हुआ है जो महानिदेशक, के.लो.नि.वि. को सम्बोधित है तथा प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि महानिदेशालय द्वारा उच्च श्रेणी लिपिक, कार्यालय अधीक्षक तथा अधीक्षक ग्रेड–1(सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के नये भर्ती नियम, वर्ष 2013/2014 में, परिचालित किये है ।

उच्च श्रेणी लिपिक के संशोधित भर्ती नियमानुसार 80 प्रतिशत रिक्तियां अवर श्रेणी लिपिक के पदोन्नति से वरीयता कोटे में तथा 20 प्रतिशत रिक्तियां परीक्षा कोटे से भरी जानी है । इसी प्रकार कार्यालय अधीक्षक के संशोधित भर्ती नियमानुसार शत प्रतिशत रिक्तियां उच्च श्रेणी लिपिक के पदोन्नति से वरीयता कोटे से भरी जानी है । महासचिव ने अवगत कराया है कि, परीक्षा कोटा न होने के अभाव में, वरीयता के आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होगी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत नहीं हो पायेंगे । अतः उन्होंने यह अनुरोध किया है कि कार्यालय अधीक्षक के भर्ती नियमों में 50 प्रतिशत परीक्षा कोटा को पुनः स्थापित किया जाए ताकि योग्य एवं कार्य–क्षमता वाले कर्मचारियों के पदोन्नति से प्रशासन एवं विभाग का लाभ हो सके ।

इस विषय में अवगत कराया जाता है कि संशोधित भर्ती नियम उपरान्त समन्वय कार्यालय द्वारा उच्च श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक पद पर कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश, वरीयता कोटे में, जारी किये गये परन्तु रिक्तियां अधिकतर दिल्ली से बाहर होने तथा कर्मचारी के सेवा–निवृति आयु के समीप होने के कारण पदोन्नति आदेश ठीक प्रकार से कियान्वित नहीं हो सके । इसी कारणवश कई रिक्तियां अभी भी उपलब्ध है जिससे विभाग के कार्य बाधित हो रहे है ।

पी.यू.सी. पर विशेष महानिदेशक महोदय द्वारा दिये गये टिप्पणी अनुसार महानिदेशक, के.लो.नि.वि. को सम्बोधित पत्र का मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

16/6/15

कार्यपालक अभियन्ता (मु0 एवं वी.डी.)

16/6/15

उप महा (मु. एवं वी.डी.)

वि0 म.नि.(उ0क्षे0)

16/6/15

Pls issue

D.DG (FC&BD)

17/6/2015

16/6/15

ANNEXURE-II

(95)

भारत सरकार
कार्यालय विशेष महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सेवा भवन, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष नम्बर–011–26198489, फैक्स–011–26175189

CPWD

संख्या : 16(4)/वि.म.नि.(उ.क्षे.)/2015/का.अधी./ 1171 दिनांक : 22/06/2015

सेवा में,

महानिदेशक,
महानिदेशालय,
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

विषय : Regarding restoration of 50% exam quota for promotion from the post of UDC to OS.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान महासचिव, ग्रुप 'बी' सी.पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस स्टॉफ एसोसिएशन (ऑल इंडिया) के पत्र दिनांक 09–06–2015 (प्रति संलग्न) की ओर दिलाया जाता है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक के संशोधित भर्ती नियमानुसार यह निश्चित नहीं है कि अवर श्रेणी लिपिक वरीयता के आधार पर कार्यालय अधीक्षक पद पर कब पदोन्नत हो सकेगा । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पूर्व में परीक्षा कोटे के आधार पर योग्य एवं कर्मठ कर्मचारी पदोन्नत होते थे जिससे विभाग एवं प्रशासन का लाभ होता था । अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि कार्यालय अधीक्षक के भर्ती नियमों में 50 प्रतिशत परीक्षा कोटा पुनः स्थापित किया जाए तथा उच्च श्रेणी लिपिक पद के भर्ती नियम में परीक्षा कोटा 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़ाया जाए ।

इस विषय में अवगत कराया जाता है कि हाल ही में समन्वय कार्यालय ने संशोधित भर्ती नियमानुसार, वरीयता के आधार पर, उच्च श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये । उच्च श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक की अधिकतर रिक्तियां दिल्ली से बाहर होने के कारण, अधिकतर पदोन्नत कर्मचारियों को बाहर तैनात किया गया, परन्तु इन कर्मचारियों ने पारिवारिक कारणों/सेवा–निवृति के समीप होने के कारण पदोन्नति ग्रहण नहीं किया । इसके अतिरिक्त कई कर्मचारियों ने पदोन्नति के संबंध में माननीय कैट में कोर्ट केस भी दायर किये है । यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में पदोन्नति हेतु विभागीय परिक्षाओं का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता था तथा उत्तीर्ण कर्मचारी तत्काल पदोन्नति पर, पदोन्नत कार्यालय जो उनके वर्तमान स्टेशन से अलग थे, पर ज्वाईन कर देते थे । इस प्रकार विभिन्न स्टेशनों पर रिक्तियां भर जाती थी तथा विभाग को भी युवा एवं कर्मठ कर्मचारियों से कार्यों के निष्पादन में लाभ होता था ।

उक्त तथ्यों के मद्देनज़र एसोसिएशन द्वारा दिये गये सुझाव लोकहित में ठीक प्रतीत होते है । अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि उच्च श्रेणी लिपिक पद की 40 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा से तथा कार्यालय अधीक्षक पद में पुनः 50 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के माध्यम से रिक्तियां भरने का प्रावधन रखा जाए । तदानुसार भर्ती नियमों को संशोधित करने का अनुरोध किया जाता है ।

यह पत्र विशेष महानिदेशक(उ.क्षे.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संलग्नक : यथोपरि

22/6/15
(ई. एस.एस. गहलोत)
कार्यपालक अभियंता (मु. एवं बी.डी.)
19/6/15